# राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ,मुख्यालय, जयपुर

मुख्यालय, परिवहन मार्ग, जयपुर–303001 दूरभाष 0141–2374644

क्रमांकः–एफ–4 / मु. / याता / (लेखा– 7) / 2025 / 325 दिनांकः–11/06/2025

## कार्यालय आदेश

शासन उप सचिव (परिवहन) एवं सड़क सुरक्षा विभाग के पत्रांक प17(5)परि / 2025(1747) जयपुर दिनांक 05.06.2025 द्वारा राजस्थान पुलिस दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कानिस्टेबल से पुलिस निरीक्षक स्तर तक के कार्मिको को निगम की एक्सप्रेस श्रेणी बसों के अतिरिक्त सेमी डीलक्स बसों में भी अतिरिक्त निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा के संबंध में संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय–2) विभाग की आईडी संख्या 162501068 दिनांक 03.06.2025 एवं अ.शा.टीपः–वित्त/ व्यय–2/ 2024–25 दिनांक 05.06.2025 अनुसार पुलिस कानिस्टेबल से पुलिस निरीक्षक स्तर तक के कार्मिकों को एक्सप्रेस श्रेणी बसों के अतिरिक्त सेमी डीलक्स बसों में भी निर्धारित अंशदान राशि की सीमा एवं शर्तो के अधीन निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान् करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्तानुसार प्राप्त वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में पुलिस कानिस्टेबल से पुलिस निरीक्षक स्तर तक (पुलिस / जेल / भष्टाचार निरोधक ब्यूरो) विभाग के कार्मिकों को निर्धारित मासिक अशंदान राशि एवं शर्तो के अधीन निगम की साधारण/ द्रुतगामी बसों में दी जा रही निःशुल्क यात्रा सुविधा को सेमी डीलक्स बसों में भी लागू किया जाता है। यह सुविधा नये आर.एफ.आई.डी. कार्ड के माध्यम से देय है जिसको नियमानुसार प्राप्त करने की जिम्मेदारी संबंधित पुलिस कार्मिक की होगी।

यह आदेश निगम संचालक मण्डल के अनुमोदन की प्रत्याशा में जारी किया जाता है।

(पुरुषोत्तम शर्मा)
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक–मुख्या / याता0 / लेखा–07 / 2025 / 325 दिनांक–11/06/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदया, रा.रा.प.प. निगम,जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, महोदय, रा.रा.प.प. निगम,जयपुर।
3. निजी सचिव, महा निदेशक पुलिस आयोजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, महा निदेशक भष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान सरकार जयपुर।
5. निजी सचिव, महा निदेशक, कारागार विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, गृह(ग्रुप–2) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, (पुलिस / भष्टाचार निरोधक ब्यूरो /कारागार) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
9. शासन उप सचिव, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
10. समस्त विभागाध्यक्ष ......................................, रा.रा.प.प.निगम,जयपुर।
11. महा प्रबन्धक / संयुक्त महा प्रबंधक ( ), रा.रा.प.प.निगम,जयपुर।
12. निगम सचिव, रा.रा.प.प.निगम,जयपुर।
13. उप महा प्रबंधक(सांख्यिकी / बजट / टिकिट / अंकेक्षण( रा.रा.प.प.निगम,जयपुर।
14. उप महा प्रबंधक (आई.टी) रा.रा.प.प.निगम,जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वर्णित आदेश वेबसाईट पर उपलब्ध कराना एवं तदानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
15. जोनल मैनज, रा.रा.प.प.निगम, ......................................
16. कार्यकारी प्रबंधक (जनसम्पर्क / संचालन / चेकिंग) रा.रा.प.प.निगम,जयपुर।
17. सहा0 लेखाधिकारी, (टिकिट / अंकेक्षण) रा.रा.प.प.निगम,जयपुर।
18. मुख्य प्रबन्धक ( ), रा.रा.प.प.निगम।
19. रक्षित पत्रावली।

(डॉ.ज्योति चौहान)
कार्यकारी निदेशक(यातायात)